संलग्नक - 7

संख्या 880 /38-3-99-500111/98

प्रेषक,

श्रीमती आराधना शुक्ला,
विशेष सचिव,
उत्तरप्रदेश शासन।

में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

ग्राम्य विकास अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक :: 18 मार्च, 1999

विषय : विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर 4.2 में संशोधन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या 4560111/38-3-98-300111/98 दिनांक 22-12-98 द्वारा विधायक निधि का गठन किया गया था और इस मित्त शासनादेश दिनांक 30-1-99 तथा 8-2-99 द्वारा धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है। विधायक निधि के मार्गदर्शी सिद्धान्त के प्रस्तर 4.2 में निम्नवत् संशोधन किया जाता है कि " पी0एल0ए0 में रखी जाने वाली धनराशि का उपभोग वित्तीय वर्ष में ही होगा, यदि किसी वर्ष के अन्त में धनराशि का व्यय किया जाना सम्भव न हो तो उस धनराशि को पी0एल0ए0 से व्यपगत(lapse) माना जायेगा " के स्थान पर " इस योजना के अधीन अवमुक्त धनराशि व्यपगत नहीं होगी। यदि किसी एक वर्ष में अवमुक्त धनराशि का उपयोग नहीं होता तो वह अगले वर्ष के लिए उपलब्ध रहेगी " पढ़ा जाए।

2- मार्गदर्शी सिद्धान्त उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये तथा उक्त शासनादेश दिनांक 30-1-99 एवं 8-2-99 भी तदनुसार संशोधित समझे जाये।

भवदीया,

18-2-99

(आराधना शुक्ला)
विशेष सचिव।

संख्या 880 (1)111/38-3-99-500111/98 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- आयुक्त, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।
3- प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
4- समस्त मा0 सदस्य, विधान सभा / विधान परिषद, उ0प्र0

....2/....

5- प्रमुख सचिव, वित्त/नियोजन, उत्तर प्रदेश शासन।
6- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
7- मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी/मा0 ग्राम्य विकास राज्य मंत्री जी
उनके [illegible] सचिव को।
8- समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला विकास अधिकारी, उत्तर प्रदे
9- समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
10- उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग।
11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

दया शंकर
संयुक्त सचिव।